



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor: 5.2
 IJAR 2020; 6(10): 74-77
www.allresearchjournal.com
 Received: 10-08-2020
 Accepted: 12-09-2020

डॉ० अरुण प्रसाद अमन
 अतिथि सहायक प्राध्यापक,
 अर्थशास्त्र विभाग, बी०एस०एस०
 कॉलेज, सुपौल, बिहार, भारत

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति : एक विवेचनात्मक अनुशीलन

डॉ० अरुण प्रसाद अमन

सारांश

हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं। लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है। लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे कि हौजरी, हस्त-औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मदें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रु. तक है, लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। सरकार अब इन उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों वे इकाइयां होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है।

शब्द संकेत : उद्योग, इकाइयाँ, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, श्रमशक्ति एवं रोजगार।

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। एक जमाना था जब भारतीय ग्रामोद्योग उत्पाद का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता था। भारतीय वस्तुओं का बाजार चर्मात्कर्ष पर था। किन्तु औपनिवेशिक शासन में ग्राम उद्योगों का पतन हो गया। फलतः हमारे गाँव एवं ग्रामवासी गरीबी के दलदल में फँस गए हैं। ऐसे गाँवों के विकास में ग्राम.उद्योग का अपना महत्व है। गाँवों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था: जब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के सम्बंध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गाँवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं जब वे अपनी जरूरतों के लिये गाँवों पर ही निर्भर रहें न कि शहरों पर, जैसा की आज। उन्होंने आगे कहा था, बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के किसान मृत है, वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता। उसे सहायक उद्योग चाहिए। गाँधीजी ने परतंत्र काल में भारतवासियों की दुर्दशा देखने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन एवं विकास की दृष्टि से एकादश व्रत के साथ-साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम तय किए थे। इसमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योग को ग्राम विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं। लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है। लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे कि हौजरी, हस्त-औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मदें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रु. तक है, लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। सरकार अब इन उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों वे इकाइयां होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की

Corresponding Author:
डॉ० अरुण प्रसाद अमन
 अतिथि सहायक प्राध्यापक,
 अर्थशास्त्र विभाग, बी०एस०एस०
 कॉलेज, सुपौल, बिहार, भारत

दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं— उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाये गये श्रमिकों एवं परिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि। लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है— 1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डों से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पाँच करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम होता हो। सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम न हो। भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग है।

लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विद्युत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपत्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। अतः आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुएँ हैं जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती हैं जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकड़ी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढ़ाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक हैं। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।

लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाय एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाएँ इन्हें प्रदान की जाएँ तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है। आजकल शहरों में बढ़ते हुए मूल्य-स्तर के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना जीवन-स्तर कायम रखना कठिन होता है। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं।

कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः हाथ द्वारा किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नहीं होते हैं। लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है। सवेतन श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी

निवेश भी होता है। कतिपय कुटीर उद्योग ऐसे भी हैं, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते हैं। अतः उन्हें लघु क्षेत्र में रखा गया था, जिससे उन्हें भी सभी सुविधाएँ प्राप्त होती रहे। 10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार रुपये से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते हैं। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग उद्योग इन इकाइयों की स्थापना संचालन आदि में तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह अनुमान किया जाता है कि मूल्य के अर्थ में यह क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से 39: एवं भारत के कुल निर्यात के 33: के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का लाभ यह है कि इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूंजी लागत पर है। लघु उद्योगों की आवश्यकता देश की परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा हेतु भी आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लघु उद्योग निर्यात संवर्धन व देश को आत्म निर्भरता की ओर जाने हेतु है लघु उद्योग आयात प्रतिस्थापन में सहायक है। वे निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी केंद्रीय सरकार ने क्रमशः कृषि और भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया जिसके कारण लघु एवं कुटीर उद्योग शनैः-शनैः उपेक्षित होते चले गए। हालाँकि कुटीर उद्योगों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इसके संचालन में निजी स्तर पर लोगों के प्रयास जुड़े थे और आज भी कुटीर उद्योग अन्य उद्योगों के समानांतर खड़े होकर अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

गाँवों, कस्बों तथा शहरों में आटा चक्की, तेल मिल, हथकरघा, रेशमी व खादी कपड़े, फसलों की कटाई-बिनाई आदि विभिन्न कार्य कुटीर उद्योग के स्तर पर हो रहे हैं। दरजी, बढ़ई, लोहार आदि के परंपरागत पेशे इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग छोटे स्तर पर धातुकर्म, चमड़े का काम, विभिन्न मशीनों के पुर्जे बनाने का काम, ईंट बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम आदि कर रहे हैं जो आधुनिक कुटीर उद्योगों के सर्वात्तम उदाहरण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पूरी दुनिया में कुटीर उद्योगों का स्वरूप भले ही परिवर्तित हुआ हो, इस प्रकार के उद्योगों का भविष्य अधर में नहीं कहा जा सकता। कुटीर उद्योगों में मशीनीकरण भी एक सुखद घटना है क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि हुई है। फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, इन पर आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से सरलता से किया जाता है।

अचार, जैम, जेली, पापड़, बिस्कुट, तैयार मसाले आदि विभिन्न खाद्य वस्तुएँ एक तरफ जहाँ बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे स्तर पर भी इनके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस तरह लाखों लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। अभी भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ हमारी दैनिक आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यद्यपि देश के तीव्रगामी विकास के लिये बड़े उद्योगों को अधिक महत्व देते थे, फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया करते थे। उनका मानना था कि गाँवों के विकास के लिये घरेलू उद्योग का विकास स्वतंत्र इकाइयों के रूप में किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। जिसने स्पष्ट किया है— लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषि प्रधान देश की सीमित खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बेरोजगारों को अपने में खपा नहीं सकता है। सरकारी स्तर पर नौकरियाँ बढ़ाने की व्यवस्था करने की सम्भावना भी नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में हर हाथ को काम देने के लिये ग्रामोद्योग का विकास उपयुक्त रणनीति हो सकता है। आजादी के बाद लघु उद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951, 1977, 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया। सबके मिले-जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी मदद मिली है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। 15 वर्ष बाद 1988 में संपन्न हुई गणना के अनुसार देश में 5.82 लाख इकाइयाँ कार्यरत थीं। इनसे वर्ष 1972-73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला था वह वर्ष 1987-88 में बढ़कर 36.66 लाख तक पहुँच गया। निर्यात में भी वृद्धि की दर अधिक रही। वर्ष 1972-73 में 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1987-88 में बढ़कर 2,499 करोड़ रुपये हो गया। एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 में बढ़कर 311.52 लाख इकाइयाँ हो गई तथा 10,95,758 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया। साथ ही 732.17 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। रोजगार एवं निर्यात की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये आवंटन में सातवीं योजना के मुकाबले में आठवीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है।

लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व :

भारत जैसे विकासशील देश में देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश का औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यम संबंधी आधार सृजन में लिए उनके योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खण्ड हैं। मोटे तौर पर ये उद्योग अर्थव्यवस्था के पारम्परिक अवस्था से प्रौद्योगिकीय अवस्था में पारगमन को प्रदर्शित करते हैं। उद्यम आधार के विस्तार के लिए लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योगों का विकास उद्योग के विस्तृत आधार का स्वामित्व प्राप्त करने, उद्यम का अपविस्तार और औद्योगिक क्षेत्र में पहल करने के लिए सरल और प्रभावी साधन प्रदान करता है।

लघु उद्योगों ने बीते 50 साल में प्रगति के अनेक सोपान तय किये हैं। हमारे देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इन उद्योगों का योगदान अहम साबित हुआ है। इन्होंने कम पूँजी से रोजगार उपलब्ध कराये हैं। ग्रामीण इलाकों में औद्योगीकरण का प्रकाश फैलाया है तथा क्षेत्रीय असंतुलन में कमी को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु उद्योग में हुए विकास ने आधुनिक तकनीक अपनाने तथा लाभकारी रोजगार में श्रम शक्ति का अवशोषण करने के लिए उद्यमशीलता की प्रतिभा का उपयोग करने को प्राथमिकता प्रदान की है जिससे उत्पादकता और आय के स्तर को बढ़ाया जा सके। लघु उद्योग उद्योगों के प्रसार तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग में सुविधा प्रदान करते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी मुद्रा नामक योजना के अन्तर्गत बेहद छोटे उद्यमियों को 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक के कर्ज उपलब्ध कराये जाते हैं ८ इस योजना से लघु उद्योगों के लिए प्रगति का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लघु, कुटीर व घरेलू उद्योग परियोजनाएं नए उद्यमी व संभावित उद्यमियों को उद्योग – व्यवसाय की स्थापना व संवर्द्धन की दिशा में प्रेरित करती हैं जिससे वे देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान बढ़ा सकें।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा :

अध्ययनों की समीक्षा के लिए विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों एवं शोध आलेखों का अध्ययन किया गया है। जिसमें प्रमुख है :

वेंकटेश एवं मुथैया (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु उद्योग रोजगार के साथ-साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होता है।

दीक्षित एवं पाण्डेय (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि 1973-74 से लेकर वर्ष 2006-07 तक लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का योगदान निर्यात, रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है अतः लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का बढ़ावा देकर भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

शर्मा अषोक एवं कुमार (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के विकास में कार्यरत पूँजी के उपलब्धता एवं उचित प्रबन्धन सहायक सिद्ध होता है जो निर्यात एवं रोजगार सृजन में कारगर सिद्ध होता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :-

- इस अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्तमान अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र-पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री :

लेखन सामग्री का उत्पादन, आयुर्वेदिक फार्मेसी, सौंदर्य व श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, प्रिंटिंग इंक उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, आइस-क्रीम उद्योग, डेरी उद्योग, कन्फैक्शनरी उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, वाशिंग डिटरजेंट पाउडर, पापड़, बड़ियाँ और चाट मसाला उद्योग, लैटेक्स रबड़ उद्योग, रबड़ की हवाई चप्पल बनाना, प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, पॉलीथीन शीट उद्योग, प्लास्टिक की थैलियाँ, पेपर पिन् (आलपिन) तथा जेम-विलप बनाना, तार से कीलें बनाना, टीन के छोटे डिब्बे-डिब्बियाँ, कॉर्न फ्लेक्स, फलों व सब्जियों की डिब्बाबन्दी एवं संरक्षण, खिलौना और गुड़िया उद्योग, दियासलाई उद्योग, मसाला उद्योग, डबल रोटी उद्योग, इस्तेमाल किये गये इंजन ऑयल का पुनर्शाधन,

ग्रीस उत्पादन, कटिंग ऑयल, एड्रेसिव उत्पादन उद्योग, मच्छर भगाने की क्रीम, सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल बैंडेज उद्योग, होजरी उद्योग, रेडीमेड गारमेंट उद्योग, स्विच और प्लग उद्योग, ड्राई सैल बैटरी, बोल्ट एवं नट उद्योग, सोप एंड क्लीनर्स इंडस्ट्री, सिल्क स्क्रीन द्वारा कपड़ों पर छपाई, बिस्कुट उद्योग, चीनी उद्योग (खांडसारी), इलैक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, टायर रिट्रीडिंग उद्योग, खाद्य रंगों का निर्माण, फलों और फूलों के एसेन्स, मक्खन और मसालों की सुगन्ध, चिप्स तथा वेफर्स, नूडल्स एवं सेवइयां, माल्ट फूड तथा माल्ट मिश्रित पेय, मक्का स्टार्च, पान मसाले तथा गुटके, सुगन्धित जाफरानी जर्दा, किवाम तथा मसाले, हुक्के सुगन्धित तम्बाकू, नसवार पाउडर और पेस्ट, सूखी संरक्षित और डिब्बा बंद सब्जियां, सॉसेज, केचअप व अचार, दुग्ध पाउडर, घी, पनीर, कत्था निर्माण उद्योग, पेंट निर्माण उद्योग आदि ।

लघु एवं कुटीर उद्योग में व्याप्त समस्या :

दूसरी ओर हमारे गाँवों की संरचना में भी काफी परिवर्तन आ गए हैं और अनेक गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं । इन परिस्थितियों में गाँवों एवं कस्बों के छोटे-छोटे धंधों जिन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है, उनमें भारी बदलाव आते दिखाई पड़ रहे हैं । बहुत से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों से मुकाबला न कर पाने के कारण संकटग्रस्त स्थिति में हैं अथवा समाप्त हो गए हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए अनेक सुझाव दिये। उनके सुझावों के अनुरूप कई नीतियाँ भी बनी लेकिन उनके क्रियान्वयन की चूक के चलते उनके अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाये हैं।

दरअसल लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना है और यदि इन्हें मिलता भी है तो बड़ी परेशानी के बाद उँचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं। इससे इनका लागत बढ़ जाता है और वे अपने ऑर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रमुख समस्या वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों पूँजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी श्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को बनाये रखने के लिए आज यह अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण किया जाय। पुराने औजार एवं प्राचीन विधियों से लघु एवं कुटीर उद्योग नवीन डिजाईन की उत्तम वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। अतः उनकी निर्माण विधि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके सस्ती दर पर उत्तम किस्म की वस्तुएं शीघ्रता से उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादित माल के विक्रय के विषय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विषिष्ट संगठनों की जरूरत है। लघु उद्योगों के साधन इतने सीमित होते हैं कि वे विस्तृत स्तर पर विज्ञान व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। जिन वस्तुओं में आधुनिक मशीनी माल से प्रतियोगिता करनी होती है तब उनके विक्रय की व्यवस्था करना और भी कठिन हो जाता है।

लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास का प्रयास :

आजादी के बाद से ही लघु उद्योगों के विकास के लिए अत्यधिक प्रयास किये गये। सन् 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में उनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951, 1977, 1980, 1991, 2001 एवं 2016 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया। सब के मिले-जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति तो हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी मदद भी मिली है लेकिन इन उद्योगों के वावजूद इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बहुत अधिक तीव्र करने में सफलता नहीं मिल सकी है।

ग्रामीण स्तर पर लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। केन्द्र सरकार का सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों के विकास का काम देखने वाला एम0एस0एम0ई0 मन्त्रालय ने बीते वर्ष में ऐसी कई नीतियाँ बनाई है जो ग्रामीण भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। राष्ट्रीय श्रेणुल सर्वे 2015-16 के अनुसार एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में करीब 633.28 लाख इकाइयाँ कार्यरत हैं। सर्वे के मुताबिक इन इकाइयों में 1.10 करोड़ रोजगार सृजित किए गये हैं।

बीते वर्षों में इन उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाये गये हैं। इनमें क्रेडिट की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए योजनाओं की शुरुआत, गुणवत्ता सुधार और इस क्षेत्र के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सहायता देने जैसे उपाय शामिल हैं। ग्रामीण भारत में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के योगदान को देखते हुए सरकार इनपर भी विशेष ध्यान दे रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग न केवल देश के विषाल ग्रामीण क्षेत्र द्वारा तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 152 लाख लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। आयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिये अपने लघु एवं कुटीर उद्योग चला रहे लोगों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास कर उन्हें देश के शहरी बाजारों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष :

लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूँजी के विनिवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करके आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यहीं नहीं, वे आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण की मदद से प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते हैं। ये ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं। अतः भारत में कुटीर उद्योगों का भविष्य अंधकारमय नहीं है यदि इसे थोड़ा सा सरकारी प्रोत्साहन भी प्राप्त हो जाए । अल्प अवधि के छोटे-छोटे ऋणों की सुविधा होने पर अनेकों बेरोजगारों को स्वरोजगार की प्राप्ति हो सकती है । इस दिशा में विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है जो निकट भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है । इस तरह ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन भी रुक सकता है ।

संदर्भ स्रोत :

1. Sharma AK, Kumar S. Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India. *Global Business Review* 2011;12(1):159-173.
2. Dixit A, Pandey AK. SMEs and Economic Growth in India: Co integration Analysis", *The IUP Journal of Financial Economics* 2011;9(2):41-59.
3. Venkatesh S, Muthiah K. SMEs in India: Importance and Contribution, *Asian Journal of Management Research* 2012;2(2):31-34.